विधेयक क्रमांक..... 2018

कृषि जिन्सों के लिए गारंटीकृत लाभकारी न्यूनतम समर्थन मूल्यों का किसान अधिकार विधेयक, 2018

धराओं के क्रम

अध्याय I : प्रारंभिक–परिभाषाएं और व्याख्याएं

1. संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और सूत्रपात

2. परिभाषायें

अध्याय II : सभी कृषि जिन्सों के लिए गारंटीकृत न्यूनतम लाभकारी मूल्य

3. सभी कृषि जिन्सों के लिए गांरटीकृत लाभकारी न्यूनतम समर्थन मूल्यों के हर किसान का अधिकार

4. सभी कृषि जिन्सों के उत्पादन के लागत का विस्तृत अनुमान

5. गारंटीकृत लाभकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण

6. गांरटीकृत लाभकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य की अधिसूचना

7. बोनस अधिसूचित करने सम्बंधी राज्य सरकारों के प्राधिकार

अध्याय III : किसानों के केन्द्रीय कृषि लागतों और लाभकारी मूल्य गारंटी आयोग

8. किसानों के केन्द्रीय कृषि लागतों और लाभकारी मूल्य गारंटी आयोग के संविधान

9. आयोग की अवधि और सदस्यों की सेवा की शर्त्तें

10. आयोग की शक्तियां और उसके कार्य

11. पारदर्शी कामकाज और संसद के समक्ष वार्षिक रिपोर्ट का रखा जाना

12. लेखा और लेखा परीक्षण

अध्याय IV : किसानों के राज्य स्तरीय कृषि लागतों और लाभकारी मूल्य गारंटी आयोग

13. किसानों के राज्य स्तरीय कृषि लागतों और लाभकारी मूल्य गारंटी आयोग के संविधान

14. राज्य आयोग की अवधि और सदस्यों की सेवा की शर्त्तें

15. राज्य आयोग की शक्तियां और उसके कार्य

16. राज्य क्षतिपूर्ति कोष

अध्याय V : गारंटीकृत लाभकारी न्यूनतम समर्थन मूल्यों के कार्यान्वयन

17. नीलामी या गारंटीकृत लाभकारी न्यूनतम समर्थन मूल्यों से कम कीमत की पेशकश पर रोक

18. खरीद केन्द्र खोलने के लिए सरकार पर दायित्व

19. राज्य सरकार द्वारा समय पर और प्रभावी रूप से बाजार में हस्तक्षेप

20. कृषि जिन्सों के आयातों को विनियमित करने के उपाय

21. मजबूरन बिक्री को रोकने हेतु अन्य उपाय उपाय

22. किसान उत्पादक संगठनों पर निवेश

23. निवेश (इनपुट) लागतों को घटाने और विनियमित करने के उपाय

24. जवाबदेह लोक अधिकारियों को नियुक्त और अधिसूचित करना

25. वास्तविक खेतिहरों की पहचान और उनके लाभ को सुनिश्चित करना

अध्याय VI : अपराधों और दंडों

26. इस कानून के तहत अपराधों और दंडों

अध्याय VII : शिकायत निवारण और क्षतिपूर्ति

27. गारंटीकृत लाभकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं प्राप्त करेन के एवज में किसान को क्षतिपूर्ति पाने का हक; भुगतान में विलम्ब के लिए किसान को दंडात्मक क्षतिपूर्ति का हक; तालुका स्तर पर शिकायत निवारण कमिटी और डीबीटी के जरिये किसान को क्षतिपूर्ति अदा करने के लिए आदेश

28. शिकायत निवारण और क्षतिपूर्ति भुगतान के लिए व्यापारी द्वारा राज्य आयोग के पास अपील

अध्याय VIII : केन्द्रीय और राज्य सरकारों के दायित्व

29. केन्द्र सरकार के पास पर्याप्त कोष सुरक्षित रखने, देने और खर्च करने का दायित्व; राज्य सरकारों के पास पर्याप्त कोष सुरक्षित रखने, देने और खर्च करने का दायित्व

अध्याय IX: विविध

30. कानून के प्रभाव

31. आयोगों के सदस्य एवं स्टॉफ, जो लोक सेवक माने जाएंगे

32. बाधाओं को दूर करेन के अधिकार

33. नियमों को बनाने के अधिकार

कृषि जिन्सों के लिए गारीकृत लाभकारी न्यूनतम समर्थन मूल्यों का किसान अधिकार विधेयक, 2018

कृषि उपज लाभकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी विधेयक 2018

कृषि जिनसों की बिक्री पर, उत्पादन की विस्तृत लागत के ऊपर कम से कम 50 प्रतिशत के लाभ अंतर के साथ सभी किसानों को गारंटीकृत लाभकारी समर्थन मूल्य प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करने और इनके साथ जुड़े या प्रासंगिक मामलों के लिए एक विधेयक

- चूंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार की प्राप्ति के लिए आजीविका के अधिकार की रक्षा करना जरूरी है;

- और चूंकि, संविधान का अनुच्छेद 38 (2) यह कहता है कि राज्य, विशेष रूप से, आय में असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा और न केवल व्यक्तियों के बीच, बल्कि विभिन्नता इलाकों में रहने वाले या विभिन्न व्यवसायों में लगे लोगों के समूहों के बीच स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को खत्म करेन का यत्न करेगा;

- और चूंकि, संविधान का अनुच्छेद 39(ए) यह कहता है कि राज्य, पुरुष एवं महिला नागरिकों के लिए समान रूप से आजीविका के पर्याप्त साधन के अधिकार को सुरक्षित करेन की दिशा में अपनी नीतियों को निर्देशित करेगा;

- और चूंकि किसानों को अच्छे उत्पादन के बावजूद उनके निवेश एवं परिश्रम का पर्याप्त लाभ नहीं मिलता और जिसके चलते उनके हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं और दसियों किसान हर साल आत्महत्या कर रहे हैं;

- और चूंकि, उपभोक्ताओं के हितों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 और आवश्यक वस्तु कानून 1955 द्वारा उचित रूप से संरक्षित किया गया है ताकि जरूरतमंद नागरिकों के लिए पर्याप्त भोजन सस्ता और उपलब्ध हो, और इसे ऐसे ही जारी रहना चाहिए;

- और चूंकि निवेश लागत किसानों के अल्प साधन से अधिक होती जा रही है;

- और चूंकि अपने कृषि जिन्सों के लिए किसानों द्वारा प्रापत कीमत, उत्पादन की लागत के ऊपर पर्याप्त लाभ नही दिला रहा है, ताकि इतनी आय हो, जिससे परिवारिक बुनियादी जरूरतों को संभाला जा सके;

- और चूंकि राष्ट्रीय किसान आयोग ने लाभकारी मूल्यों के लिए एक सिद्धान्त की सिफारिश की थी, जिसके तहत उन्हें उत्पादन की व्यापक लागत के ऊपर कम से कम 50 प्रतिशत का लाभ अंतर के साथ तय करना था,

- और चूंकि देश की खाद्य सुरक्षा और खाद्य सम्प्रभुता की सुरक्षा के लिए, खासकर सिकुड़ते भू–जोतों और आजीविका के घटते अवसरों के संदर्भ में, कृषि में पर्याप्त लाभ सुनिश्चत करना जरूरी है;

- और चूंकि, किसान आत्महत्याओं को रोकना सरकार का दायित्व है;

- और चूंकि, सामाजिक सुरक्षा सूची 3 (समवर्ती सूची) के सूचीबद्ध है, मूल्य नियंत्रण का विषय सूची 3 में प्रवृष्टि नं. 34 पर सूचीबद्ध है, और सूची 1 की प्रवृष्टि नं. 45 में बैंकिंग द्वारा व्यवस्थित

- 'विभिन्न साध्य विलेख कानून' के तहत, बाजार से प्राप्त मूल्यों के बीच के अन्तर की धन वापसी, पावती पेश करने पर, किसी भी बैंक द्वारा की जानी चाहिए;

- और चूंकि, उपरोक्त कारणों से सभी कृषि जिन्सों के लिए किसानों को गारंटीकृत लाभकारी नयूनतम समर्थन मूल्यों का अधिकार दिया जाना जरूरी है;

- अब, इसलिए इसे भारत के गणतंत्र के 68 वें साल में संसद द्वारा इस रूप में अधिनियमित किया जाये :–

कृषि जिन्सों के लिए गारंटीकृत लाभकारी न्यूनतम समर्थन मूल्यों का किसान अधिकार विधेयक, 2018

कृषि जिन्सों की बिक्री पर, उत्पादन की विस्तृत लागत के ऊपर कम से कम 50 प्रतिशत के लाभ अंतर के साथ सभी किसानों को गारंटीकृत लाभकारी समर्थन मूल्य प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करने और इनके साथ जुड़े या प्रासंगिक मामलों के लिए एक विधेयक

इसे भारत के गणतंत्र के 68 वें साल में संसद द्वारा इस रूप में अधिनियमित किया जाए–

1	**अध्याय 1** **प्रारंभिक– परिभाषायें और व्याख्याएं** 1) इस कानून को **कृशि जिन्सों के लिए गारंटीकृत लाभकारी न्यूनतम समर्थन मूल्यों का किसान अधिकार, 2018 कहा जाए।** 2) यह विधेयक के पारित होने के एक माह के भीतर, अधिनियमन होने के बाद जितनी जल्दी संभव हो, केन्द्र सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में एक अधिसूचना के साथ लागू हो जाएगा। 3) इसे सम्पूर्ण भारत में लागू किया जाता है।	संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और आरंभ
2	इस कानून में, जब तक सन्दर्भ अनयथा मांग न करता है– ए) **'कृषि जिन्स'** का मतलब है– सभी अनाज जैसे गेहूं, धान, मक्का, सभी मोटा अनाज जैसे जुवार, बाजार, जौ, कोदो; सभी दालें जैसे काला	परिभाषायें

	चना, हरा चना, कबूतर मटर, लाल चना, बंग्ला चना; सभी तिलहन जैसे मूंगफली, सरसों सूरजमुखी, कुसुम, सोयाबीन; ऊख, कपास; फलों और सब्जियों जैसे टमाटर, भिंडी, बैगन, आलू, प्याज फूलगोभी, बंद गोभी के साथ–साथ वैसे सभी कृषि उत्पाद जिनका उपयोग मानव उपभोग में होता है एवं देश के किसी भी भाग में स्थानीय नाम से उपजाये जाते हैं; सभी मशाला फसलें जैसे इलायची, जायफल, वैनिला, अदरख; सभी कुछ फसलें जैसे साबूदाना, सभी औषधीय पौधे, सभी किस्मों के दूध, सभी छोटे जंगल उत्पाद, फूलें, घास, चारा घास और पेड़ उत्पाद या नर्सरी उत्पाद, सभी बागान, उत्पाद जैसे केला, नारियल, कॉफी, सुपारी, कोको, रबर, पीपर, चाय आदि; सभी पशु उत्पाद जैसे मांस एचं भेंड का मांस सभी मछली उत्पाद जैसे मछली सीपी, समुद्री मछली ताजा जल जलीय उत्पाद, शहद, मुर्गा पालन एवं अंडे, रेशम कीट ककून और सभी वैसे दूसरे प्राथमिक उत्पादन एवं कृषि जिनस अपने सभी सजातीय प्रकटनों के साथ; बी) **'कृषि विशेषज्ञ'** में शैक्षिक योग्यता के गुण या कृषि सम्बन्धित क्षेत्रों में कम से कम 15 साल का व्यावहारिक या प्रबंधन का अनुभ रखने वाला व्यक्ति शामिल है; स) **'गरांटीकृत लाभकारी न्यूनतम समर्थन मूल्यों'** का मतलब उस मूल्य से है जो किसी कृषि जिन्स के उत्पादन की व्यापक लागत के ऊपर कम से कम 50 प्रतिशत लाभ अंतर को सुनिश्चित करता है जैसा कि धारा 5 के तहत तय और धारा 6 के तहत अधिसूचित किया गया। इसमें राज्य सरकार द्वारा घोषित बोनस जोड़ा जाएगा, जो राज्य स्तर पर उत्पादन की व्यापक लागत से कम से कम 50 प्रतिशत लाभ अंतर से ऊपर होगा, और खड़ी (बगान) फसलों के मामले में, जैसा कि आयोग द्वारा खासतौर पर किय किया जाएगा, जो कानून की अनुसूची 1 से निर्देशित होगा; डी) **'आयोग'** का मतलब है धारा 8 के तहत गणित केन्द्र स्तरीय किसानों का कृषि लागत एवं लाभकारी मूल गारंटी आयोग; इ) **'उत्पादन की लागत'** अनुसूची 1 पर आधारित धारा 4 के तहत अनुमानित विस्तत लागत है; एफ) **'किसान'** का अर्थ है एक व्यक्ति जो फसल उगाने की आर्थिक और आजीविका की गतिविधि में संलग्न है, या भूमि स्वामित्व के साथ या बिना अन्य प्राथमिक कृषि जिन्सों का उत्पादन करता है, और इसमें सभी कृषि परिचालन धारकों, खेतीहारों, कृषि मजदूरां, बटाईदारों, काश्तकारों, मुर्गी, एवं पशुपालकों, मछुआरों, मधुमक्खी पालकों,	

	चारवाहों, गैर–कारपोरेट बागान मालिकों और बागन मजदूरों के साथ साथ बन उपज संग्रहकर्त्ताओं को भी शामिल किया जाएगा; जी) **'फंड'** का मतलब राज्य क्षतिपूर्ति फंड है, जो राज्य आयोग द्वारा कायम एवं प्रशासित किया जायेगा; एच) **'सरकार'** का मतलब है केन्द्र सरकार या राज्य सरकार, जैसा भी स्थिति हो; आई) **'बाजार'** का मतलब विनियमित बाजारों, राज्य खरीद एजेन्सियों, उपभोक्ता/सेवा सहकारिताओं, निगमों द्वारा कृषि जिन्सों की खरीद की व्यवस्थाओं द्वारा किसानों से दूध संग्रह केन्द्रों समेत कृषि जिन्सों की खरीद के लिए की गई ठेका खेती व्यवस्थाएं, विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र की एजेन्सियों द्वारा खोले गए खरीद केन्द्र और सरकारी एजेन्सियों द्वारा संचालित दूसरे मार्केट यार्ड जिनमें पंचायतें एवं सहकारितायें तथा निजी बाजार भी शामिल हैं; जे) **'सदस्य'** का मतलब है आयोग का सदस्य, (केन्द्रीय या राज्य स्तरीय), जिसमें अध्यक्ष भी शामिल हैं; के) **'निर्धारित'** का मतलब इस कानून के तहत नियमों द्वारा निर्धारित है; एल) **'राज्य आयोग'** का मतलब है इस कानून की धारा 13 के मुताबिक राज्य स्तर पर स्थापित आयोग; एम) **'व्यापारी'** का मतलब ऐसे व्यक्ति या कोई अन्य संस्था, यानी एकमात्र स्वामित्व, साझेदारी फर्म, सार्वजनिक क्षेत्र या कारपोरेट इकाई से है, जो किसानों से सीधे कृषि जिन्सों को खरीदते हैं।	
3	**अध्याय–II** **सभी कृषि जिन्सों के लिए गारंटीकृत लाभकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य** पूरे भारत में प्रत्येक किसान, किसी कृषि जिन्स की बिक्री पर एक अधिकार के रूप में 'गारंटीकृत लाभकारी न्यूनतम समर्थन मूल्यों' को पाने का हकदार होगा;	प्रत्येक किसान को सभी कृषि जिन्सों का गारंटीकृत लाभकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य का अधिकार
4	1) सरकार, किसानोंके केन्द्रीय कृषि लागत एवं लाभकारी मूल्य गारंटी आयोग के जरिए सभी कृषि जिन्सों के उत्पादन लागत के अनुमान के लिए एक मजबूत, व्यापक एवं सटीक व्यवस्था बनायेगी; बशर्ते कि : 2) लागत का अनुमान व्यापक होगा, जिसमें भुगतान कि गए सभी खर्चों	

	के साथ साथ, राज्य या क्षेत्र से सम्बन्धित कुशल मजदूरी दरों पर परिवार के श्रम, जमीन का किराया मूल्य, सम्पत्ति पर ब्याज, खेतिहर परिवार द्वारा किए गए प्रबंधकीय कामों की गणना की परिश्रमिक, के अलावा अनुसूची 1 में सूची बद्ध सम्पत्ति एवं अन्य घटकों के मूल्यहास को जोड़ा जाएगा; 3) इस प्रकार की गणनाओं में प्रत्येक फसल की अवधि को ध्यान में रखना चाहिए; 4) उन जिन्सों के लिए जहां लागत अनुमान की व्यवस्था मौजूद नहीं है सरकार ऐसी व्यवस्थायें स्थापित करेगी, ताकि सामयिक आधार पर आंकड़े इक्ट्ठा हो सके; 5) ऊपज के आंकड़े, एक आर्वती रूपमें, विगत पांच सालों के वास्तविक औसत ऊपज होना चाहिए; और 6) इस अनुमान (आंकड़े, कार्य पद्धति, नमूना चयन, सांख्यिकी विश्लेषण आदि) की समय समय पर समीक्षा की जायेगी, और सुधारों को लगू किये जाएंगे।	
5	1) किसानों का केन्द्रीय कृषि लागत एवं लाभकारी मूल्य गारंटी आयोग सरकार को ऐसी किमतों की सिफारिश करेगा, जिसमें अनुसूची 1 के आधार पर प्रत्येक कृषि जिन्स के लिए अनुमानित उत्पादन की व्यापक लागत के ऊपर कम से कम 50 प्रतिशत के लाभ अंतर को सुनिश्चित होगा; 2) गारंटीकृत लाभकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश से बढ़कर, खास जिन्सों के लिए उपधारा (1) के तहत सामाजिक एवं पर्यावरण नीति की अनिवार्यता के अनुसार और उप–धारा (3) के तहत संघीय सरकार की अधिसूचना के आधार पर अतिरिक्त लाभ देने पर विचार किया जा सकता है; **व्याख्या :** उत्पादन की व्यापक लागत और गारंटीकृत लाभकारी न्यूनतम समर्थन मूल्यों के आकलन करने के लिए आयोग इस कानून की अनुसूची 1 द्वारा निर्दिष्ट सभी कारकों को ध्यान में रखेगा।	गारंअीकृत लाभकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण
6	1) केन्द्रीय आयोग की सिफारिश की प्राप्ति के बाद एक माह के अन्दर, जितना जल्दी संभव हो, केन्द्र सरकार आयोग की सिफारिशों के अनुसार सभी कृषि जिन्सों के गारंटीकृत लाभकारी न्यूनतम समर्थन	गारंटीकृत लाभकारी न्यूनतम समर्थन मूल्यों की

	मूल्यों को अधिसूचित करेगी; 2) यह भी निर्दिष्ट किया जाता है कि सरकार द्वारा गारंटीकृत लाभकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य, आगामी खरीफ उत्पादन मौसम (सीजन) के लिए प्रत्येक साल 28 फरवरी को या इसके पहले और आगामी रबी उत्पादन मौसम के लिए प्रत्येक साल 31 जुलाई का या इसके पहले अनुसूचित किया जाएगा;	अधिसूचना
7	राज्य सरकार को, राज्य आयोग से सिफारिश प्राप्त करने के बाद, 15 दिनों के अन्दर इन सिफारिशों के अनुसार, धारा 15 (1) (बी) में जैसा कि निहित है, केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित गारंटकृत लाभकारी न्यूनतम समर्थन मूल्यों के अतिरिक्त बोनस की अधिसूचना करने की मनाही नहीं होगी; बशर्ते कि बोनस का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।	राज्य सरकार को बोनस अधिसूचित करेन का अधिकार
8	**अध्याय III** **किसानों का केन्द्रीय कृशि लागत एवं लाभकारी मूल्य गारंटी आयोग** 1) केन्द्रीय सरकार, सरकारी राजपत्र में अधिसूचति कर, किसानों के कन्द्रीय कृषि लागत और लाभकारी मूल्य गारंटी आयोग के नाम से एक स्वायत्तशासी निगमित निकाय गठित करेगी (जिसे आगे केन्द्रीय आयोग के रूप में उल्लेख किया जायेगा), जिसका उद्देश्य इस कानून के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग एवं कार्यों का निष्पादन करना और सभी कृषि जिन्सों के लिए गारंटीकृत लाभकारी न्यूनतम मूल्यों की सिफारिश एवं लागू करना होगा; 2) केन्द्रीय आयोग में शामिल होंगे : (ए) अध्यक्ष (पूर्ण कालिक), जो एक किसान सुयोग्य, कृषि अर्थशास्त्र में अनुभवी और विभिन्न कृषि संकायों के साथ संसृत होगा; (बी) सदस्य इस प्रकार होंगे : (I) किसानों के 5 प्रतिनिध, जिनमें किसान संगठनों एवं व्यक्तियों के प्रतिनिध होंगे (महिला समेत), जिनका किसानों के मुद्दों पर काम करने के सिद्ध रिकॉर्ड एवं कृषि अर्थव्यवस्था का अच्छा ज्ञान हो, और जो यथासंभव भारत के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हों। – गैर–सरकारी सदस्य	किसानों के केन्द्रीय कृषि लागत एवं लाभकारी मूल्य गारंटी आयोग का संविधान

	(II) 3 कृषि विशेषज्ञ– जिनके पास कृषि अर्थशास्त्र या कोई भी उससे अनुषंगिक संकाय की अपेक्षित शैक्षिक योग्यता, और विशेषज्ञता के क्षेत्र में कम से कम 15 सालों का अनुभव हों। – गैर सरकारी सदस्य (III) कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि मंत्रालय एवं किसान कल्याण से एक पदाधिकारी, जो संयुक्त सचिव के ओहदा से कम न हो। – सदस्य (IV) कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण मंत्रालय के एक अधिकारी, जो उप–सचिव (पूर्णकालिक) के ओहदा से कम न हो। – सदस्य सचिव (सी) सदस्यों में से एक को उपाध्यक्ष की पदवी दी जायेगी ताकि किसी कारण से अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कार्यवाहियां प्रभावित न हो। 3) अध्यक्ष और सदस्यों को एक चयन समिति की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किये जायेंगे, जिसमें i) प्रधानमंत्री जो इसके अध्यक्ष होंगे ii) लोकसभा में विपक्ष के नेता या लोकसभा में विपक्ष के सबसे बड़े ग्रुप या दल के नेता, iii) संघ मंत्रिमंडल के कृषि मंत्री शामिल होंगे। 4) इस मनोनयन में पूरे देश से न्यायसंगत क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, खासकर उपरोक्त उप धारा (2) (बी) (i) और (ii) के तहत खंडीय (खेती, बागवानी, पशुपालन, मछलीपालन, कृषि मजदूरी, वन उपज संग्रहण) और लैंगिक पृष्ठभूमि (एस सी, एस टी आदि) का ध्यान रखा जायेगा; ओर इस मनोनयन में विभिन्न राज्यों के आवर्ती आधार पर प्रतिनिधित्व के लिए आयोग को पुनर्गठित और खाली पदों को भरा जायेगा। 5) केन्द्रीय सरकार सुनिश्चित करेगी कि अध्यक्ष समेत कोई भी सदस्य अपने कार्यों के निर्वहन के सम्बंध में किसी हित के टकराव का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। 6) संसद या राज्य विधान सभा या संघीय क्षेत्र का वर्तमान सदस्य, जैसा भी मामला हो, या लाभ का कोई अन्य पद धारण करने वाले केन्द्रीय आयोग के अध्यक्ष और सदस्य नहीं हो सकते। 7) सरकार केन्द्रीय आयोग के सहयोग के लिए, उस तरीके से जैसा कि	

	निर्धारित हो, जरूरत के मुताबिक सदस्य सदस्यों की बहाली करेगी। 8) अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन में, उपरोक्त उप–धारा (7) में निर्दिष्ट सदस्य सचिव और दूसरे कर्मचारी अध्यक्ष के प्रतिनिधित्व वाले केन्द्रीय आयोग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन होंगे।	
9	1) हर बार गठित की गई केन्द्रीय आयोग की अवधि 5 सालों की होगी; 2) केन्द्रीय आयोग का पुनर्गठन अस्तिवमान आयोग के कार्यकाल की समाप्ति के पूरे 10 माह पहले अधिसूचित करने पर किया जाना चाहिए ताकि केन्द्रीय आयोग का आसान संक्रमण और सतत पदारोहण हो सके, और किसी सदस्य को केन्द्रीय आयोग में संभवतः पुनः मनोनीत किया जा सके; 3) धारा 8 में निर्दिष्ट अध्यक्ष और गैर–सरकारी सदस्यों को उच्च न्यायालय के पदासीन जज द्वारा की गई उचित जांच और राष्ट्रपति द्वारा इस प्रकार कि की गई अनुशंसा के बाद ही उनके पद से हटाया जा सकेगा। 4) कोई सदस्य सरकार के पास अपने हाथ से लिखकर किसी भी समय अपने पद से इस्तीफा दे सकता है। 5) उपरोक्त उप–धारा (4) के तहत केन्द्रीय आयोग के किसी सदस्य के इस्तीफा के कारण या अन्यथा उत्पन्न होने वाली रिक्ति, इस कानून की धारा 8 में निहित प्रावधानों के अनुसार 6 माह की अवधि के भीतर भरी जायेगी : बशर्ते कि नियुक्त व्यक्ति उस व्यक्ति की अवधि की शेष अवधि के लिए पदधारणा करेगा, जिसके स्थान पर वह नियुक्त हुआ है। 6) सरकार किसी सदस्य को हटा सकती है, अगर वह– (ए) अनुन्मुक्त दिवालिया/कर्जदार घोषित किया गया है; (बी) शारीरिक और मानसिक विकलांगता के कारण अपने कार्य को जारी रखने में असमर्थ हो जाता है; (सी) अस्वस्थ दिमाग का हो जाता है और ऐसा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा घोषित किया जाता है; (डी) किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है, जो सरकार की राय में नैतिक अछमता या वित्तीय अनियमितताओं को शामिल करता है; (इ) सरकार की नजर में उसने अपनी अधिकारिक पद का दुरूपयोग	केन्द्रीय आयोग की अवधि और सदस्यों की सेवा की शर्त्ते

	किया, जिससे उसका अपने पद पर बने रहना लोक हित के प्रतिकूल है; वशर्ते कि, अध्यक्ष और गैर–सरकारी सदस्यों के मामले में, उपरोक्त उपधारा (3) में जैसा कि निर्दिष्ट किया गया है, उचित जांच और अनुसंशा की गई हो। 7) केन्द्रीय आयोग भागीदारी, पारदर्शिता एवं अपक्षपात के सिद्धांत के साथ अपने कामकाज के संचालन के लिए अपनी पद्धति को नियंत्रित करेगा, और समय–समय पर देश भर में राज्य आयोगों, राज्य सरकारों तथा किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श का आयोजन करेगा; 8) अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन–भत्ते और सेवा की अन्य शर्त्तें, जैसे भी हों, निर्धारित किए जाएंगे।	
10	1) केन्द्रीय आयोग के पास वैसे अधिकार रहेंगे जो इस कानून के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जरूरी होंगे, खासकर : ए) सभी कृषि जिन्सों के लिए गारंटीकृत लाभकारी न्यूनतम समर्थन मूल्यों की सिफारिश करना, जो उत्पादन की व्यापक लागत के ऊपर कम से कम 50 प्रतिशत का लाभ अंतर प्रदान करता हो; i) बशर्त्ते कि ऐसी सिफारिशों में सामाजिक एवं पर्यावरणिय नीति की जरूरतों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन शामिल किया जा सकता है; ii) बशर्त्ते कि केन्द्रीय आयोग सरकार को दी जाने वाली सिफारिश को अंतिम रूप देने के क्रम में राज्य आयोगों की सिफारिशों को भी ध्यान में रखता हो; iii) बशर्त्ते कि सरकार गारंटीकृत लाभकारी न्यूनतम समर्थन मूल्यों को, केन्द्रीय आयोग की सिफारिशों से नीचे अधिसूचित नहीं करेगा। बी) अन्य वैसे सभी उपायों की सिफारिश करना, जो किसानों के लिए एक लाभकारी और स्थिर मूल्य परिवेश को आश्वस्त करेगा, जिसमें भंडारण एवं मार्केटिंग संरचना और प्रक्रियाओं में सुधारों के साथ–साथ उत्पादन संगठनों को पर्याप्त एचं उपयुक्त समर्थन शामिल है; सी) पूरे देश में विभिन्न कृशि जिन्सों के लिए किसानों द्वारा प्राप्त कीमतों पर निगरानी रखना और इस बावत सभी सम्बन्धित	केन्द्रीय आयोग के अधिकार और कामकाज

	एजेन्सियों/ विभागों को प्रभावी कार्रवाई करने के लिए तत्काल सलाह भेजना; डी) सरकार के लिए यह अनिवार्य होगा कि कृषि को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों पर केन्द्रीय आयोग से परामर्श करे, और केन्द्रीय आयोग को वापस रिपोर्ट करे कि आगतों (इनपुट) को क्यों ध्यान में रखा गया और क्यों नहीं; इ) बीजों, खादों, कीटनाशकों, बिजली, डीजल कृषि उपकरण आदि समेत कृषि आगतों की लागत के सरकारी विनियमन हेतु सिफारिश करना। 2) केन्द्रीय आयोग प्रत्येक साल के सभी कृषि जिन्सों की 'गारंटीकृत लाभकारी न्यूनतम समर्थन मूल्यों के लिए सिफारिशों को, उस साल के आगामी खरीफ मौसम के लिए 15 फरवरी और आगामी रबी मौसम के लिए 15 जुलाई के पहले जमा करेगा।	
11	1) केन्द्रीय आयोग लागत आकलनों, गारंटीकृत लाभकारी न्यूनतम समर्थन मूल्यों के आधार, बाजार मूल्य रूझानों और आगामी कार्रवाई/ सिफारिशों, बैठकों के लिखित विवरणों तथा अपने वेबसाईट पर कोई दूसरी सामग्री समेत सभी संबद्ध सूचना को प्रकाशित करेगा; 2) केन्द्रीय आयोग इस कानून के तहत साल के अपने कामकाज की एक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे केन्द्रीय सरकार के पास तय तिथि को या उसके पहले एक निर्धारित फॉर्म में जमा करेगा; 3) उप– धारा (2) के तहत केन्द्रीय सरकार के पास जमा किया गया वार्षिक रिपोर्ट को सरकार द्वारा प्राप्त होने के बाद, जितनी जल्दी हो सके संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।	पारदर्शी कामकाज, और संसद के समक्ष वार्षिक रिपोर्ट का रखा जाना
12	1) केन्द्रीय आयोग उचित खातों और दूसरे प्रासंगिक रिकॉडों को बनाये रखेगा और खातों के वार्षिक विवरणों को तैयार करेगा, उस रूप में जैसा कि निर्धारित किया जाये; 2) केन्द्रीय आयोग के खातों का वार्षिक लेखांकन होगा और लेखा परीक्षित रिपोर्ट को केन्द्रीय सरकार द्वारा वार्षिक रिपोर्ट के साथ संसद के समक्ष पेश किया जायेगा।	खातों और लेखा परीक्षा
13	**अध्याय IV :**	किसानों का राज्य कृषि लागत और

	किसानों का राज्य कृषि लागत और लाभकारी मूल्य गारंटी आयोग 1) राज्य सरकार इस कानून के प्रारम्भ होने के बाद 6 माह के अन्दर एक सरकारी राजपत्र जारी कर एक स्वायत्तशासी निगमित निकाय गठित करेगी, जिसे किसानों के राज्य कृषि लागत और लाभकारी मूल्य गांरटी आयोग के नाम से जाना जायेगा (आगे इसे राज्य आयोग कहेंगे); जिसका उद्देश्य इस कानून के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग एवं कार्यों का निष्पादन करना और सम्बन्धित राज्य में सभी कृषि जिन्सों के लिए गारंटीकृत लाभकारी न्यूनतम समथ्रन मूल्यों की सिफारिश और लागू करना होगा; 2) राज्य आयोग में शामिल होंगे; ए) अध्यक्ष (पूर्ण कालिक), जो एक किसान, कृषि अर्थशास्त्र में सुयेग्य एवं अनुभवी और विभिन्न कृषि संकायों के साथ संसृत होगा; बी) सदस्य इस प्रकार होंगे– i) किसानों के 5 प्रतिनिधि, जिनमें किसान संगठनों एवं व्यक्तियों के प्रतिनिधि होंगे (महिला समेत), जिनका किसानों के मुद्दों पर काम करने के सिद्ध रिकॉर्ड और जो राज्य के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हो। – गैर–सरकारी सदस्य ii) एक कृषि विशेषज्ञ या शोध विज्ञानी– जिनका कृषि क्षेत्र– कृषि अर्थशास्त्र में पिछली उपलब्धि हो, कृषि अर्थशास्त्र में पिछली उपलब्धि हो, कृषि विज्ञान संकायों में उच्च शिक्षित और विशेषज्ञता के क्षेत्र में कम से कम 15 साल का अनुभव हो। – गैर सरकारी सदस्य iii) कृषि विभाग/बागवानी/पशुपालन/मछली पालन के 4 पदाधिकारी, जो कृषि/बगावानी/पशुपालन/मछली पालन निदेशक या समकक्ष द्वारा अनुशासित हो; – सरकारी सदस्य iv) कृषि मार्केटिंग विभाग (या सम्बन्धित राज्य में उनके समकक्ष विभाग) के एक सरकारी सदस्य। – सदस्य सचिव	लाभकारी मूल्य गारंटी आयोग का संविधान

	सी) सदस्यों में से एक को उपाध्यक्ष की पदबी दी जायेगी ताकि किसी कारण से अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कार्यवाहियां प्रभावित न हो। 3) अध्यक्ष एवं सदस्यों को एक चयन समिति की सिफारिश के आधार पर मनोनीत किये जायेंगे, जिसमें i) राज्य के मुख्यमंत्री जी इसके अध्यक्ष होंगे, ii) राज्य विधान सभा में विपक्ष के नेता या विपक्ष के सबसे बड़े ग्रुप या दल के नेता, iii) सम्बन्धित राज्य के कृषि मंत्री शामिल होंगे। 4) इस मनोनयन में पूरे राज्य से न्यायसंगत क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, उपरोक्त उप–धारा (2) के तहत खंडीय प्रतिनिधत्व और लैंगिक एवं सामाजिक पृष्ठभूमि (एस.सी.–एस.टी. आदि) को ध्यान में रखा जायेगा; और इस मनोनयन में राज्य के अन्दर के विभिन्न क्षेत्रों के आवर्ती आधार पर प्रतिनिधित्व के लिए राज्य आयोग को पुनर्गठित खाली पदों को भरा जायेगा। 5) राज्य सरकार सुनिश्चित करेगी कि अध्यक्ष समेत कोई भी सदस्य अपने कार्यों के निर्वाहन में किसी हित के टकराव का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। 6) राज्य सरकार, राज्य आयोग के सहयोग के लिए, उस तरीके से जैसा कि निर्धारित हो, जरूरत के मुताबिक कर्मचारी सदस्यों की बहाली करेगी। 7) अपने कर्तव्यों के निर्वहान में उपरोक्त उप–धारा (6) में निर्दिष्ट सचिव और दूसरे कर्मचारी उपरोक्त धारा (2)(ए) के तहत अध्यक्ष के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन होंगे।	
14	1) हर बार राज्य आयोग के गठन के बाद उसका कार्यकाल 5 साल का होगा; और उसका पुनर्गठन राज्य सरकार द्वारा निवर्तमान राज्य आयोग के कार्यकाल की समाप्ति के 10 माह पूर्व पूरा कर लिया जायेगा; वशर्ते कि राज्य सरकार, यदि आवश्यक समझे तो उसका कार्यकाल बढ़ा सकती है। 2) धारा 13 में निर्दिष्ट अध्यक्ष और गैर सरकारी सदस्यों को, हाईकोर्ट के पदासीन न्यायाधीश के उचित जांच और राज्य सरकार की उस बावत अनुशंसा के बिना उनके पदों से हटाया नहीं जायेगा; 3) कोई सदस्य, सरकार को अपने हाथ से लिखित आवेदन देने पर किसी समय अपने पद से इस्तीफा दे सकता है। 4) उपरोक्त उप–धारा (3) के तहत या अन्यथा राज्य आयोग से एक	राज्य अयोग का कार्यकाल और सदस्यों की सेवा की शर्त्तें

	सदस्य के किसी कारण से इस्तीफा देने के बाद जो रिक्त होती है, उसे कानून की धारा 13 में निहित प्रावधानों के अनुसार भरी जायेगी; वशर्ते कि नियुक्त व्यक्ति केवल उस व्यक्ति के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए पद धारण करेगा, जिसके स्थान पर वह नियुक्त हुआ है। 5) राज्य सरकार किसी भी सदस्य को हटा सकती है, अगर वह– (ए) वह अनिर्धारित दिवालिया/देनदार घोषित किया गया है; (बी) शारीरिक या मानसिक विकलांगता के कारण अपने काम को जारी रखने में असमर्थ हो जाता है; (सी) किसी सक्षम न्यायालय द्वारा अस्वस्थ दिमाग का घोषित किया गया है; (डी) किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, जो राज्य सरकार की राय में नैतिक रूप से अछम या वित्तीय अनियमितताओं को शामिल करता है; (इ) राज्य सरकार की राय में उसने अपने अधिकारिक पद का दुरूपयोग किया है, जिससे उसका अपने पद पर बने रहना लोक हित के खिलाफ है– वशर्ते कि अध्यक्ष एवं गैर सरकारी सदस्यों के मामले में उपरोक्त उप–धारा–2 के तहत निर्दिष्ट जांच और अनुंशंसा हो चुकी है। (6) राज्य आयोग भागीदारी, पारदर्शिता एवं निष्पक्षता के सिद्धान्त के अनुसार अपने कार्य संचालन के प्रक्रिया का नियमन करेगी एवं राज्य के अलग–अलग क्षेत्र एवं अलग–अलग समूह के किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ नियमित अंतराल में सलाह करेगी। (7) राज्य आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन, भत्ता एवं सेवा के अन्य शर्तों को तय किया जाना चाहिए। (8) राज्य आयोग का मुख्यालय राज्य की राजधानी में होगा। (9) कोई सांसद या राज्य तथा केन्द्र शासित विधायक राज्य आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्य नहीं हो सकते, न ही वे किसी लाभ के पद पर रह सकते हैं।	
15	(1) राज्य आयोग के पास इस कानून के लक्ष्य को पूरा करने के लिए आवश्यक सभी अधिकार होने चाहिए विशेष तौर पर	राज्य किसान कृषि लागत एवं

	(एं) राज्य के सभी कृषि उपज के लिए हर साल अनुसूची 1 में दिये गए कारकों को ध्यान में रखते हुए गारंटीकृत लाभकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य का केंद्रीय आयोग के पास अनुशंसा करना एवं यह निश्चित करना कि खरीफ़ फसलों के लिए यह अनुशंसा 31 जनवरी के पहले एवं रबी फसलों के लिए 30 जून से पहले कर दिया जाय। (बी) केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित गारंटेड लाभकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य से ऊपर राज्यस्तर पर लागू होनेवाले गारंटेड लाभकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करने के लिए राज्य सरकार को सिफारिश करना। इस तरह की सिफारिश करते समय राज्य में फसल की लागत के ऊपर 50 प्रतिशत मुनाफ़े को सुनिश्चित करना है। इसके साथ ही कृषि क्षेत्र में संतुलित एवं टिकाव विकास के मद्देनजर किसी विशेष फसल को प्रोत्साहित करने के लिए उसके समर्थन मूल्य की अनुशंसा करना है। केन्द्रीय आयोग द्वारा किसी कारणवश गारंटेड लाभकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य की सूची से बाहर रखे गये कृषि उपज के लिए राज्य आयोग अनुशंसा करेगी। (सी) अलग–अलग कृषि मंडियों में माल की कीमत पर नियमित रूप से निगरानी करना एवं उसके आधार पर उचित कार्यवाही करने के लिए राज्य सरकार को सलाह देना एवं उन सलाहों को कारगर बनाने के लिए उन पर की गई कार्यवाही का निरीक्षण करना। (डी) सरकारी अधिकारी तथा लोक सेवकों द्वारा कर्तव्य निर्वाह करने में हुई चूक एवं संविदा खेती के बारे में पता लगाना एवं इस कानून की धारा 26 के अनुसार दंड लगाने की अनुशंसा करना। (इ) राज्य से संबन्धित विषयों पर केन्द्रीय आयोग को सिफारिश भेजना। (एफ) धारा 27 के अनुसार गारंटीकृत लाभकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलने एवं बेचने के बाद देर से किये गये भुगतान के कारण तालुका स्तर की समिति के आदेश पर किसानों को क्षतिपूर्ति देने के लिए धन रखना। (जी) धारा 28 के तहत व्यापारियों द्वारा नुकसान होने संबन्धित प्रार्थना पत्र के बारे में जांच करना एवं निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उन्हे क्षतिपूर्ति दिलाना।	लाभकारी मूल्य गारंटी आयोग के अधिकार एवं कार्य

	(एच) राज्य सरकार को खेती में काम आनेवाले सभी वस्तुओं जैसे बीज, खाद, कीटनाशक, बिजली, डीजल, कृषि औज़ार की कीमतों को नियमन करने के लिए अनुशंसा करना।	
16	(1) राज्य आयोग राज्य क्षतिपूर्ति कोष का गठन करेगा एवं उसकी देख–रेख करेगा। केंद्र सरकार इस कोष के लिए रकम आवंटित करेगी। इसके साथ ही इस कानून का उल्लंघन करने के जुर्म के एवज में अदा किए गये जुर्माने को भी इस कोष में जमा किया जाएगा। (2) इस कोष का उपयोग धारा 27 एवं धारा 28 के तहत किसान एवं व्यापारियों को क्षतिपूर्ति के लिये किया जाएगा।	राज्य क्षतिपूर्ति कोष
17	**अध्याय V** **गारंटेड लाभकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य का कार्यान्वयन** 1) पूरे देश की सभी कृषि मंडी, जिसमें एपीएमसी भी शामिल है, में सभी कृषि उपज की नीलामी गारंटेड लाभकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य से शुरू होगी एवं किसी कृषि उपज की नीलामी इस मूल्य से कम मूल्य पर नहीं की जाएगी। 2) खरीददार व्यापारी या कमीशन एजेंट के बीच में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मौखिक या अन्य किसी तरह के समझौते के फलस्वरूप बाजार या बाजार के बाहर किसी भी कृषि उपज की नीलामी की बोली कम करने की अवैध कोशिश तथा कीमत को गिराने के प्रयास से गारंटेड लाभकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर प्रतिकूल असर होगा। इस तरह के किसी भी करार को गैर कानूनी माना जाएगा एवं धारा 26 के तहत पीड़ित किसानों के शिकायत पर या जन–हित समूह एवं सरकारी निगरानी द्वारा स्वत संज्ञान लेते हुए दोषी को दंडित किया जाएगा जिसमें संबंधित अधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति रद्द करना भी शामिल है। (3) (एं) कोई भी व्यापारी जिसमे संविदा खेती से जुड़ा मामला भी शामिल है, गारंटेड लाभकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम मूल्य पर कोई सामान नहीं खरीदेगा। कोई भी व्यापारी न्यूनतम लाभकारी समर्थन मूल्य से कम मूल्य पर कोई सामान खरीदने पर पीड़ित किसान की शिकायत पर सरकारी महकमे द्वारा समुचित छानबीन के बाद उसे धारा 26 के तहत दंडित किया जाएगा एवं उसकी अनुज्ञप्ति को राज्य सरकार द्वारा	गारंटीकृत लाभकारी न्यूनतम समर्थन मुल्य से कम बोली नीलामी एवं खरीद पर रोक।

	नामित अधिकारी रद्द कर देगा। बी) इस कानून के प्रावधानों के तहत किसानों को दिये गए अधिकारों का उल्लंघन करते हुए कोई व्यापारी किसान से खासकर फसल कटाई के तीन महीने तक के समय में उसकी उपज खरीदने से मना नहीं कर सकता । ऐसा करके यदि वह गारंटेड लाभकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य को लागू करने में अवरोध पैदा करता है तो वह धारा 26 के तहत दंड का भागीदार होगा जिसमें राज्य सरकार द्वारा उसकी अनुज्ञप्ति निरस्त करने का प्रावधान है। व्यापारी भी इसी धारा के तहत शिकायत निवारण प्रक्रिया की मदद ले सकता है।	
18	1) सरकार को सभी कृषि उपज के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में खरीद केंद्र खोलना चाहिए। सरकार या तो सीधा किसानों से खरीद सकता है या नामित खरीद केंद्र ,व्यापारी मण्डल, स्व– सहायता समूह या किसानो के कृषि उत्पाद संगठनो के जरिये स्थानीय स्तर पर सरकार की खाद्य परियोजना के लिए पर्याप्त मात्रा में एवं कृषि उपज निगमों के लिए गारंटेड लाभकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर या उससे ज्यादा मूल्य पर खरीद सकता है। (2) फसल खरीदने के लिए कटाई के कम से कम 4 सप्ताह पहले भंडारण सुविधा, परिवहन, तराजू, चटाई, परीक्षण उपकरण आदि का समुचित इंतजाम हो जाना चाहिए। (3) खरीद एजेन्सी द्वारा उसी दिन उसी समय किसानों को सीधा भुगतान कर देना चाहिए। (4) खरीद केन्द्र के दायरे में आनेवाले क्षेत्र में खरीद केन्द्र के बारे में पर्याप्त प्रचार हो जाना चाहिए।	खरीद केंद्र खोलने की सरकार की ज़िम्मेदारी।
19	केन्द्र सरकार को प्याज, टमाटर, आलू, बाग–बगीचे की उपज जैसे कम समय में खराब हो जानेवाले सामानों एवं अन्य सूचित मालों की बाजार कीमत में गिरावट आने की स्थिति में 2 दिन के अंदर बाजार में कारगर एवं समय पर हस्तक्षेप के लिए राज्य सरकार को वित्तीय मदद करनी चाहिये, ताकि वे गारंटेड लाभकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानो से खरीद सके और उन्हे तुरंत भुगतान कर सके।	राज्य सरकार द्वारा बाजार में समयोचित एवं कारगर हस्तक्षेप
20	केंद्र सरकार को अनुदान प्राप्त कृषि उपज के आयात पर रोक लगाने के लिए कदम उठाना चाहिए। उसे आयात शुल्क बढ़ाकर एवं अन्य कदम उठाकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आयातित कृषि वस्तु की देश में आने के समय की कीमत किसी भी समय पर गारंटेड लाभकारी न्यूनतम	कृषि वस्तु के आयात पर नियंत्रण के लिए कदम

	समर्थन मूल्य से कम न हो।	
21	आर्थिक मजबूरी के कारण किसानों द्वारा कम कीमत पर कृषि उपज को बेचने से रोकने के लिए कारगर योजना बनाना राज्य सरकारों के लिए अनिवार्य है। कृषि उपज का भंडारण करने एवं लाभकारी मूल्य मिल सके ऐसे समय पर अपनी उपज बेच पाने के लिए किसानों तक भंडारण सेवा की पहुँच का विस्तार करना जरूरी है। इसके अलावा किसानों द्वारा गोदाम में रखे गये उपज की कम से कम 75 प्रतिशत का गारंटेड लाभकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य या बाजार मूल्य में जो अधिक हो के हिसाब से भुगतान जैसी योजना का होना जरूरी है। व्यापारियों को भी कम समय में खराब हो जानेवाले उत्पादों के लिए पर्याप्त भंडारण एवं कृषि–प्रशंसकरण की सुविधा मुहैया कराई जानी चाहिए ताकि वे बाजार में टिके रह सकें।	मजबूरी में बेची जा रही फसल के बिक्री पर रोक के लिए अन्य कदम
22	1) सरकार को किसानों को किसान/मजदूर उत्पादक सहकारी समिति एवं अन्य किसान उत्पादक संगठनों में संगठित करने एवं उसमें निवेश करने के लिए कोष का गठन करना चाहिए। इन सहकारी समितियों के पास पर्याप्त आधारभूत संरचना, पूंजी होनी चाहिए, ताकि वे अपना प्रसंस्कृत, मूल्य संवर्धित उत्पाद का कारोबार बगैर टैक्स के चला सकें। 2) महिला किसानों के एफपीओ को अतिरिक्त प्रोत्साहन।	किसान उत्पादक संगठन में निवेश
23	.सरकार (केंद्र या राज्य) को कृषि उत्पादन के खर्च को कम करने के लिए बीज, खाद, कीटनाशक, बिजली, डीज़ल, कृषि उपकरणो पर अनुदान देना चाहिये एवं कृषि में कम लागत की टिकाव खेती के तरीके को बढ़ावा देना चाहिये।	कृषि आगत की लागत को कम एवं नियंत्रित करने के लिए कदम
24	सरकार (केंद्र या राज्य) को तहसील स्तर से शुरू करके व्यापारियों द्वारा किसान को दिये गये फसल की कीमत की निगरानी करना, व्यापारियों द्वारा इस कानून के धाराओं के उल्लंघन करने पर उनके खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही करने, समय पर खरीद केंद्र खोलने, बाजार में उपयुक्त समय पर हस्तक्षेप, समय पर क्षतिपूर्ति का भुगतान जैसे सभी कामों के लिए सरकारी अधिकारी को मनोनीत एवं सूचित करना चाहिये।	जिम्मेदार सरकारी अधिकारी को मनोनीत करना
25	राज्य सरकार को खेती करनेवाले असली किसान जिसमें दूसरे की जमीन पर खेती करनेवाले किसान, बटाईदार, महिला किसान एवं आदिवासी किसानो की पहचान कर उन्हे पंजीकृत करने एवं उन्हे पहचान पत्र देने की कारगर प्रक्रिया को लागू करना चाहिये तथा सुनिश्चित करना चाहिये कि इस कानून में दर्शाये गए खरीद तथा बाजार में सरकार के हस्तक्षेप द्वारा इन्हे गारंटीकृत लाभकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त हो सके।	वास्तविक किसानो का पहचान करना एवं उन्हे लाभ पहुचाना

26	**अध्याय VI** **जुर्म एवं दंड** 1) कोई भी व्यापारी जिसमे संविदा खेती से जुड़ा हुआ भी शामिल है, अगर इस कानून के धारा 17 का उल्लंघन करते हुए किसान से गारंटीकृत लाभकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम कीमत पर खरीदता है या न्यूनतम समर्थन मूल्य के प्रावधान को कमजोर करता है तो वह संज्ञेय जुर्म करता है एवं उसे निम्न वर्णित दंड दिया जाएगा। ए) पहली बार जुर्म के लिए व्यापारी द्वारा कानून का उलंघन करने के कारण किसान का जितना घाटा हुआ है उसका दोगुना जुर्माना के रूप में अदा किया जाएगा एवं तीन महीने का जेल की सजा दी जाएगी। ब) दूसरी बार के जुर्म के लिए व्यापारी द्वारा कानून का उलंघन करने के कारण किसान का जितना घाटा हुआ है उसका दोगुना जुर्माना के रूप में अदा किया जाएगा एवं छ महीने जेल की सजा दी जाएगी।. स) तीसरी बार के जुर्म के लिए व्यापारी द्वारा कानून का उलंघन करने के कारण किसान का जितना घाटा हुआ है उसका तीन गुना जुर्माना के रूप में अदा किया जाएगा एवं 12 महीने जेल की सजा दी जाएगी। साथ ही ऐसे निजी कारोबारी को भविष्य में व्यापार करने पर रोक लगायी जाएगी। (2) राज्य आयोग जानबूझकर बगैर किसी संतोषजनक कारण से सरकारी अधिकारी तथा कर्मचारियों द्वारा कारगर रूप से निगरानी करने, व्यापारियो का गारंटीकृत लाभकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम भुगतान करने पर भी उनके खिलाफ तुरंत कार्यवाही करने, कारगर तरीका से बाजार में हस्तक्षेप करने, कानून की धारा 24 एवं धारा 15 के तहत क्षतिपूर्ति देने जैसे कर्तव्य निर्वाह नहीं करने के दोषी पाये जाने पर उन्हे 6 महीना कारावास की सजा के साथ उनके एक महिने के वेतन के बराबर की रकम जुर्माना लगाएगा।	जुर्म और जुर्माना
27	**अध्याय VII** **शिकायत निवारण एवं क्षतिपूर्ति** 1) कोई भी किसान जिसे व्यापारी द्वारा उसकी उपज के लिए गारंटीकृत लाभकारी न्यूनतम समर्थन 27 मूल्य से कम भुगतान किया जाता है	लाभकारी समर्थन मुल्य नहीं मिलने पर क्षतिपूर्ति का अधिकार

	,क्षतिपूर्ति का हकदार है। इस क्षतिपूर्ति की रकम कम से कम गारंटीकृत लाभकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य से जितना कम भुगतान किया गया है उतना होगा। 2) व्यापारी एवं सरकारी खरीद एजेंसी द्वारा किसान को उसकी उपज के लिए गारंटीकृत न्यूनतम समर्थन मूल्य के बराबर तुरंत भुगतान करने में देरी करने पर उसे प्रति महिना 15 प्रतिशत के हिसाब से क्षतिपूर्ति देना होगा। 3) राज्य आयोग के प्रशासनिक नियंत्रण में तालुका स्तर पर 3 सदस्यीय शिकायत निवारण समिति का गठन किया जाएगा जो किसानो द्वारा उपधारा (1) एवं उपधारा (2) के तहत की जानेवाली शिकायतों को सुनेगा एवं उसका निस्तारण करेगा। इस समिति की बैठक एवं कार्य के संबंध में निम्नलिखित बिन्दु निर्धारित की गयी है– (ए) इस समिति में तालुका स्तर के कृषि एवं विपणन विभाग के एक–एक प्रतिनिधि के साथ किसानों का प्रतिनिधि होगा। (बी) यह समिति सरल सत्यापन की प्रक्रिया अपनाएगी। (सी) यह समिति शिकायत प्राप्ति के एक महिना के अंदर उसका निवारण करेगी। (डी) समिति क्षतिपूर्ति का आदेश पारित करेगी एवं राज्य आयोग उसके कोष से भुगतान करेगा।	भुगतान में देर होने पर जुर्माना तालुका स्तर शिकायत निवारण समिति एवं किसानों को क्षतिपूर्ति देने का आदेश
28	राज्य आयोग व्यापारियों द्वारा गारंटीकृत लाभकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य के शर्त पालन करने से होनेवाले आर्थिक नुकसान के संबंध में उनके ओर से किए गये को अपील सुनेगा और निर्धारित प्रक्रिया अपनाकर उसका निवारण करेगा जिसमे उसके कोष से क्षतिपूर्ति देने का आदेश भी शामिल है।	राज्य शिकायत निवारण आयोग मे व्यापारियों की अपील एवं क्षतिपूर्ति का भुगतान
29	**अध्याय VIII** **केंद्र एवं राज्य सरकारों का दायित्व** (1) केंद्र सरकार को सभी कृषि उपज की लागत के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए आंकड़ा इकट्ठा करने के मद में होनेवाली खर्चा करना चाहिए एवं इसके लिए अलग से कोष रखना चाहिए। जिन कृषि उपजों के लागत के बारे में आंकड़ा उपलब्ध नहीं है उन्हे जुटाना चाहिए।	केंद्र सरकार का पर्याप्त फंड रखने एवं खर्चा करने की ज़िम्मेदारी

	(2) केंद्र सरकार को केंद्रीय आयोग के काम को कारगर रूप से चलाने के लिए उसके द्वारा प्रायोजित शोध कार्य, आयोग कार्यालय, आधारभूत संरचना एवं रोजमर्रे के खर्च के लिए पर्याप्त व्याय करना चाहिए। (3) (ए) मनोनीत खरीद एजेंसी को फसल खरीदने के समय एवं बाजार में हस्तक्षेप करने के लिए जरूरी खर्चा के लिए केंद्र सरकार को पर्याप्त वित्तीय साधन आरक्षित रखना चाहिए। (बी) केंद्रीय आयोग उसको दिये गए वित्त का उपयोग एवं उसकी पर्याप्तता का वार्षिक समीक्षा करेगा एवं उसके आधार पर अगले बजट के लिए ज्यादा या कम वित्त की मांग रखेगा। (सी) इस रकम का उपयोग किसानो को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति एवं राज्य आयोग द्वारा राज्य क्षतिपूर्ति कोष से व्यापारियों को दी जानेवाली क्षतिपूर्ति के लिए भी किया जायेगा। 4) राज्य सरकार को राज्य किसान कृषि लागत एवं लाभकारी मूल्य गारंटी आयोग के कारगर संचालन के लिए एवं राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार की घोषित गारंटीकृत लाभकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर राज्य स्तर पर घोषित समर्थन मूल्य की आर्थिक ज़िम्मेदारी का निर्वाह करने के लिए पर्याप्त कोष आरक्षित करना चाहिए एवं उपलब्ध करवाना चाहिए।	राज्य सरकार का पर्याप्त फंड रखने एवं खर्चा करने की ज़िम्मेदारी
30	**अध्याय 9** **विविध** इस कानून या इसके कोई नियम या इसके तहत दिया गया कोई आदेश इस कानून के अतिरिक्त किसी अन्य कानून से असंगत होने पर भी लागू होगा।	अधिवावी प्रभाव
31	आयोग के सभी सदस्य, सचिव एवं धारा 8 (7) एवं धारा 13(6) के तहत नियुक्त किए गए सभी कर्मचारियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अनुसार सरकारी कर्मचारी माना जाएगा (केंद्रीय कानून 45 ऑफ 1860)।	आयोग के सदस्य जन सेवक
32	1) इस कानून के प्रावधानों को लागू करने में आनेवाली किसी भी तरह की दिक्कतों को ध्यान में रखकर सरकार जरूरत पड़ने पर इस कानून से असंगति नहीं रखनेवाला कोई भी आदेश पारित कर सकती है। 2) इस धारा के तहत लिये गये हर आदेश को संसद के सामने रखना चाहिए।	अड़चन दूर करने का अधिकार

33	1) इस कानून की धाराओं को लागू करने के लिए सरकार को नियम बनाने के लिए गजेट में छापना चाहिए। 2) इस धारा के तहत बनाए गए किसी भी नियम को संसद में जब 14 दिन का सत्र चल रहा है तो संसद में पेश करना चाहिए। यह 14 दिन एक या दो सत्र में पूरा हो सकता है। इस सत्र या उसके बाद में चलनेवाले सत्र में इसे पेश करने के बाद संसद इस नियम में कोई संशोधन पारित करता है या यह कहता है कि यह नियम नहीं बनाना चाहिए तो यह नियम या तो संशोधित रूप में लागू होगा या नहीं लागू होगा। लेकिन दोनों स्थिति में इस नियम के तहत पूर्व में किए गए कार्यवाही की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।	नियम बनाने का अधिकार

सूची 1

1 पद्धति : लागत का अनुमान लगाने के लिए लागत के लेखा जोखा को आधार बनाया जाएगा जिसमें अलग–अलग संसाधनों जैसे पूंजी एवं सेवा के अवसर लागत को पूरी तरह शामिल किया गया है। इसके अलावा नियत पूंजी पर व्याज को भी शामिल किया गया है।

2 लागत घटक; लागत घटक में नकदी एवं सामान दोनों को शामिल किया गया है। खेती में लगनेवाली चीजों, सेवा, संपत्ति/संसाधन के आरोपित मूल्य को उत्पादन लागत के विस्तृत अनुमान में शामिल करना चाहिए।

ए) भुगतान लागत

1 किराया/मजदूरीः इंसान,जानवर तथा मशीनरी

2 जानवर एवं मशीन के पूरे साल के रख–रखाव का खर्चा ना कि खेती में उनके उपयोग के समय के दौरान होनेवाले रखरखाव पर खर्चा।

3 बीज (घर में तैयार किया गया एवं खरीदा गया),खाद,गोबर के खाद (खुद का या खरीदा हुआ), कीटनाशक जिसमे कीटाणुनाशक भी शामिल है, एवं सिंचाई पर लागत।

4 पशु के लिए शेड, पंप शेड, मशीन शेड, गोदाम शेड, ट्रैक्टर का ह्रास लागत।

5 भूमि राजस्व एवं अन्य टैक्स।

6 लीज पर ली हुई जमीन के लिए दिया गया वास्तविक किराया।

7 प्रोसेसिंग, परिवहन, एवं विपणन खर्च(साफ करना, ग्रेडिंग करना,सुखाना,पेकिंग बेचना, परिवहन पर खर्चा,कटाई के बाद इन सब कामो में लगाया गया समय मंडी टैक्स) आदि।

8 अन्य खर्चा

अध्यारोपित लागत

पारिवारिक श्रम के मूल्य ; किसी क्षेत्र की सरकार द्वारा कुशल मजदूरों के लिए घोषित मजदूरी या कुशल मजदूरों के लिए बाजार दर में से जो भी ज्यादा है उसके अनुसार पूरे दिन की परिवार की मजदूरी ना कि खेती के सिर्फ खास तरह के काम से संबन्धित आंकड़ो को लेकर पारिवारिक श्रम का मूल्य तय करना।

मौजूदा बाजार के दर से जमीन का किराया (किसी अन्य कानून के तहत लगाए गए किराया पर सीलिंग के बगैर)।

बाजार के दर से स्थिर पूंजी पर ब्याज।

चलती पूंजी पर ब्याज जिसमे कर्जा लेने के लिए (समय एवं कागजात) एवं अनौपचारिक क्षेत्र से लिए गए कर्जा पर ब्याज। यह ब्याज पूरे सीजन पर लागू होगा।

प्रति हेक्टर पर खेती के लागत पर 10 प्रतिशत जोखिम चार्ज।

नीचे दिये गए आनुमानित लागत में अपनायी गयी पद्धति से सभी लागत को जोड़कर उसके ऊपर 10 प्रतिशत प्रबंधकीय लागत।

सी) आनुमानित लागत

गारंटीकृत लाभकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य का प्रस्ताव करने के लिए उत्पादन के विस्तृत लागत का आंकलन करने एवं उसके लिए आंकड़ा जुटाने में जो समय का अंतराल है उसको ध्यान में रखना चाहिए। आनुमानित लागत निकालने के लिए इस समय अंतराल में अलग–अलग आगतों की कीमत में हुए बदलाव दर को शामिल करना चाहिए। यही बात स्थिर लागत पर भी लागू होगी। इसके साथ ही तमाम आगत के उपयोग में मात्रात्मक बदलाव को भी ध्यान में रखना है। स्थिर पूंजी पर ब्याज एवं ह्रास को निर्माण क्षेत्र में महंगाई के दर से जोड़कर निकालना है। जमीन के किराये को कृषि सामग्री के थोक सूचकांक से जोड़ना है, क्योंकि जमीन पर किराये के दर में यह सूचकांक निर्धारक है।'''

In the case of plantation crops,separate procedures to be drawn up to apportion initial costs over the plantation crop annual period,in addition to maintenance costs with built- in losses.

3. YIELD DATA THAT IS TO BE USED FOR CONVERTING COST OF CULTIVATION TO COST OF PRODUCTION;This shall be based on a reconciliation between crop-cutting experiments –based data from Departments of Agriculture/Horticulture and what is collected from a sample set of farmers for Cost Estimation.

4. आंकड़ा जुटाने के लिए सैम्पल; सभी चयनित ब्लाकों से 2 गाँव को चुनना है। हर गाँव में 3 तरह के जोत को चुनना है, 1 हेक्टेयर से कम की 3 जोत, 1–2 हेक्टेयर के 2 जोत एवं 2–3 हेक्टेयर के 1 जोत को लेना है। इस तरह से 1 गाँव से 6 सेंपल लेना है। हर राज्य में मुख्य फसल एवं लघु फसल का सेंपल

लेना है। ब्लॉक का चयन का जो आधार होगा उसी आधार पर गाँव को चुनना है। राज्य स्तर पर कम से कम 500 जोत का सेम्पल रखना है।'''

5. AVERAGING OF COST AT THE NATIONAL LEVEL;The guiding principle for this should be to strike a balance between efficiency consideration and maximum coverage of farmers.Bulkline cost comprising 75 percent of farmers [(50+100)/2] shall be used to arrive at comprehensive Cost.

At the State level

a All the above shall be applicable to the state level cost estimation too.Averaging of cost at the State Level shall be based on Bulkline Average from different agro-ecological regions within the state

GRMSP Bonus shall be based on ensuring that at least 50% of the state level average comprehensive cost of production is covered ,in addition to to any other policy incentives that the state commission may provide.

लक्ष्य एवं तर्क

1. भारत की 55 प्रतिशत से अधिक आबादी जीविका के लिए मुखय रूप से कृषि पर निर्भर है। पिछले दो दशक में 1995 से 300000 किसानों ने आत्महत्या की है। भारत सरकार का आंकड़ा दिखाता है कि सिर्फ 2015 में ही 12602 किसानो ने मुख्य रूप से आर्थिक तंगी के कारण आत्महत्या कर ली। इनमें 38.7 प्रतिशत किसानों ने कर्ज के बोझ से आत्महत्या कर ली, जबकि 19.5 प्रतिशत ने फसल की बरबादी या किसान द्वारा उनके उपज को बेच नहीं पाने के कारण आत्महत्या कर ली। 2015 में खुदखुशी करनेवाले 43 प्रतिशत छोटे किसान थे।

2. आंकड़ा दिखाता है कि अक्सर किसान को फसल बेचकर उसका लागत मूल्य भी नहीं मिल पाता। किसान को खेती में निवेश के अलावा भी दूसरे खर्चे हैं। वर्तमान में "कृषि लागत एवं कीमत आयोग" न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण करने के लिये 1. मांग एवं पूर्ति, 2. उत्पादन लागत 3.घरेलू एवं अंतराष्ट्रीय बाजार में कीमत की रुझान 4. अंतर फसल कीमत समतुल्यता, 5. कृषि एवं गैर कृषि क्षेत्र के बीच व्यापार का शर्त 6. न्यूनतम समर्थन मूल्य का उसके उपभोक्ताओं पर संभावित प्रभाव। इस तरह के मापदंडो को लेकर स्थिर किया गया न्यूनतम समर्थन मूल्य अक्सर उत्पादन लागत से भी कम होता है। इसमे उत्पादक के जीवन एवं जीविका के अधिकार को नजरंदाज कर दिया जाता है।

3. इस बीच उपभोक्ताओं के लिये खासकर गरीबों के लिये खाद्य की कीमत को मुख्य रूप से 2 कानूनों खाद्य सुरक्षा कानून 2013 एवं अत्यावश्यक सामाग्री कानून 1955 द्वारा सहनीय स्तर पर स्थिर किया गया

है। इसलिए किसानो दी जानेवाली कीमत का एक मात्र निर्धारक कारक उनके लिये उत्पादन के विस्तृत लागत के ऊपर कीमत स्थिर करना ताकि वे लाभ कमा सके। न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण में अन्य मापदण्ड विचारणीय नहीं होना चाहिए।

4. ऊपर वर्णित स्थिति में किसानों के जीवन एवं आजीविका के अधिकार को परिपुष्ट करने के लिये देश एवं राज्य किसान कृषि लागत एवं लाभकारी मूल्य की गारंटी आयोग गठन करने का प्रस्ताव किया जा रहा है। यह आयोग स्वायत संस्था होगी एवं एक बार गठित होने के बाद यह केंद्र तथा राज्य सरकार के नियंत्रण में नहीं रहेगी। इस आयोग द्वारा सभी कृषि उपज के लिये उत्पादन के विस्तृत लागत के ऊपर 50 प्रतिशत मुनाफा जोड़कर स्थिर किया गया गारंटीकृत लाभकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य को स्वीकार करना होगा।

5. सभी किसानो को सभी फसलों के लिए गारंटीकृत लाभकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य पाने के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए व्यापारियों द्वारा किसानो को दिये जानेवाले कीमतों का नियमन करना व्यावहारिक होगा एवं सरकारी अधिकारियों को जवाबदेह तरीके से काम करवाने के लिए नियम बनाना होगा।

6 केंद्रीय सरकार कृषि उपजों के आयात एवं निर्यात से संबन्धित निर्णय अलग–अलग कारकों को ध्यान में रखकर लेता है। इस संबंध में निर्णय लेने से पहले हम सरकार को आयोग से सलाह करने का प्रस्ताव देते हैं। सरकार को हम यह सुनिश्चित करने का आग्रह करते हैं कि किसी भी आयातित कृषि सामग्री का देश में पहुँचने के समय उसकी कीमत गारंटीकृत लाभकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम न हो।

7 सभी किसानो को गारंटीकृत लाभकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य पाने के कानूनी अधिकार देने के लिए निवारण एवं क्षतिपूर्ति प्रक्रिया का होना किसान एवं व्यापारी दोनों के लिए जरूरी है।

8 हम यह महसूस करते हैं कि गारंटीकृत लाभकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसमे उत्पादन के विस्तृत लागत के ऊपर 50 प्रतिशत मुनाफा शामिल है, पाने के अधिकार से किसानों का मनोबल बढ़ेगा। वे आराम से गुजारा कर सकते हैं, खेती में निवेश कर सकते हैं जिससे उत्पादकता एवं उत्पादन बढ्ने की संभावना है। इससे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं राष्ट्र की संप्रभुता सुनिश्चित होगी एवं किसान कर्ज के फंदे से मुक्त होगा।

इसलिए यह विधेयक ।

नई दिल्ली राजू शेट्टी

तारीख हस्ताक्षर

वित्तीय ज्ञापन

इस विधेयक की धारा 4 केंद्रीय सरकार को अन्य विषयों के अलावा सभी कृषि उपज के लागत का समय–समय पर सटीक अनुमान लगाने का मजबूत व्यवस्था बनाने का अधिकार देता है।

धारा 8 एवं 9 केंद्रीय सरकार को केंद्रीय किसान कृषि लागत एवं लाभकारी कीमत गारंटी आयोग का गठन एवं उसका संचालन करने के लिए पर्याप्त धन देने का प्रावधान करता है।

धारा 18 केंद्रीय सरकार को पर्याप्त संख्या में सभी फसलों के लिए खरीद केंद्र खोलने के लिए धन का प्रावधान करता है।

धारा 19 राज्य सरकार द्वारा बाजार में समय पर कारगर तरीका से हस्तक्षेप करने के लिए केंद्र सरकार से आर्थिक समर्थन का प्रावधान करता है।

धारा 22 किसान उत्पादक संगठन में निवेश करने एवं उन्हे टैक्स मुक्त माहोल में काम करने देने के लिए केंद्रीय सरकार को पर्याप्त धन देने का प्रावधान करता है।

धारा 29 केंद्रीय सरकार को खरीदने, बाजार में हस्तक्षेप करने तथा किसान एवं व्यापारियों को क्षतिपूर्ति देने के लिए पर्याप्त व्यय करने का प्रावधान करता है।

अगर यह विधेयक पारित होता है तो भारत के समेकित कोष से व्यय करना होगा। लेकिन अभी इसका अनुमान लगाना संभव नहीं है कि इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आवर्ती तथा अनावर्ती खर्च कितना होगा।

प्रदत्त विधान के संबंध में ज्ञापन

धारा 8 केंद्रीय सरकार को चयन समिति के समर्थन से केंद्रीय किसान कृषि लागत एवं लाभकारी मूल्य गारंटीकृत आयोग गठन करने का अधिकार देता है। धारा 9(6) द्वारा केंद्रीय सरकार को आयोग के सदस्यों को हटाने का अधिकार है।

धारा 13 राज्य सरकार को राज्य किसान कृषि लागत एवं लाभकारी कीमत गारंटीकृत आयोग गठन करने का अधिकार देता है। धारा 14(5) में दिये गए क्षमता के अनुसार राज्य सरकार आयोग के सदस्यों को हटा सकता है।

धारा 17 केंद्रीय सरकार को गारंटीकृत लाभकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम बोली लगाने या कम दर से कृषि उत्पाद खरीदने पर रोक लगाने एवं उससे संबन्धित प्रक्रिया विकसित करने का अधिकार देता है।

धारा 20 केंद्रीय सरकार को आयातित कृषि उत्पाद के देश में आने के समय उसकी कीमत गारंटीकृत लाभकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम ना हो यह सुनिश्चित करने का अधिकार देता है।

धारा 23 केंद्र तथा राज्य सरकार को आगत मूल्य को कम करने एवं उसे नियंत्रित करने का अधिकार प्रदान करता है।

धारा 24 केंद्र तथा राज्य सरकार को इस कानून के तहत किए जानेवाले कामों के लिए सभी स्तर पर जिम्मेदार सरकारी अधिकारी को मनोनीत करने का अधिकार देता है।

धारा 32 की उप धारा (1) केंद्रीय सरकार को दिक्कतों को दूर करने का आदेश देने का अधिकार देता है।

धारा 33 के उपधारा (1) उन विषयों से संबन्धित है जिसके बारे में नियम बनाया जा सकता है या अधिसूचना जारी किया जा सकता है। यह मुख्यत प्रक्रिया से संबन्धित है।प्रदत्त विधेयक सामान्य प्रकार का है।